न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 100/2022

रामसिंह पुत्र लादूराम जाति मेघवाल, निवासी मुकन्दपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार खेतड़ी, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू, राज0।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम रामसिंह, मु0न0 141/2022,
अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956, निर्णय दिनांक 07.10.2022

उपस्थितिः—

1 .श्री सुमेर सिंह सैनी, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.10.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रोशनलाल, मु0 नं0 141/2022 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — पटवारी हल्का ठाठवाड़ी ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 248 रकबा 16.41 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ के रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर गैर सायल रामसिंह मेघवाल, मुकन्दपुरा ने राजकीय पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थी अपीलांट को धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया जिस पर अपीलांट की ओर से दिनांक 23.08.2022 को नोटिस में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में दिनांक 07.10.2022 को एक तरफा सुनवाई की जाकर अपीलांट के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:41 IST
Reason: SelfAttested

बेदखली का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही साक्ष्य सबूत लिये, तथा अपीलांट के जवाब का अवलोकन किये बिना ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम मुकुन्दपुरा स्थित जिस भूमि खसरा नंबर 248 रकबा 16.41 हैक्टर गै.मु.जोहड़ में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा आवासीय मकान बनाकर जो कब्जा बताया गया है, जो गलत बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर गलत आदेश पारित किया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से यानि 100 वर्षों से पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा है और अपीलांट के पूर्वजों ने ही उक्त भूमि पर पुख्ता निर्माण कर अपने परिवार सहित आबाद हैं जो गांव की आबादी के बीच में हैं। वर्तमान में अपीलांट भी उक्त भूमि पर बने मकानें पर अपने परिवार सहित आबाद है, जहां पर सैकड़ों घरों की आबादी है। पटवारी हल्का द्वारा द्वेषतापूर्ण गलत रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है जिसको आधार मानकर अदालत मातहत ने आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि की सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भौतिक स्थिति बदल गई थी और वर्तमान में उक्त भूम पर कोई जोहड़ आदि नहीं है और ना ही कोई अवशेष आदि है। उक्त भूमि का अपीलांट के पूर्वजों को ही भूमि आवंटन अधिकारी, तहसीलदार खेतड़ी आबादी भूमि का विक्रय विलेख, अनुसूचित जाति व जन जाति/श्रमिक तथा कारीगरों की आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन सनं 1975 में किया गया था, जिस पर अपीलांट व उसका परिवार पुख्ता निर्माण कर अपने परिवार सहित आबाद है। इस प्रकार अपीलांट ने कोई अतिक्रमण आदि नहीं किया है। सरकार द्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि पर ही मकान बनाकर आबाद है। अपीलांट अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। अपीलांट ने कोई नया कब्जा नहीं किया है। अपीलांट ने काफी खर्चा करके मकानों का निर्माण किया है। अपीलांट को बेदखली किया जाता है तो अपीलांट व उसका परिवार बर्बाद हो जायेगा। अपीलांट पट्टेशुदा भूमि पर पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा है। इन तथ्यों पर गोर नहीं कर अदालत मातहत ने आदेश पारित करने में कलती कानूनी की है। अंत में अपील अपीलार्थी [illegible] अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 07.10.2022 को [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– पटवारी हल्का ठाठवाड़ी ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 248 रकबा 16.41 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ के रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर गैर सायल रामसिंह मेघवाल, मुकन्दपुरा ने राजकीय पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थी अपीलांट को धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया जिस पर अपीलांट की ओर से दिनांक 23.08.2022 को जवाब नोटिस में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में दिनांक 07.10.2022 को एक तरफा सुनवाई की जाकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही साक्ष्य सबूत लिये, तथा अपीलांट के जवाब का अवलोकन किये बिना ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। गाम मुकुन्दपुरा स्थित जिस भूमि खसरा नंबर 248 रकबा 16.41 हैक्टर गै.मु.जोहड़ में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा आवासीय मकान बनाकर जो कब्जा बताया गया है, जो गलत बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर गलत आदेश पारित किया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से यानि 100 वर्षों से पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा है और अपीलांट के पूर्वजों ने ही उक्त भूमि पर पुख्ता निर्माण कर अपने परिवार सहित आबाद हैं जो गांव की आबादी के बीच में हैं। वर्तमान में अपीलांट भी उक्त भूमि पर बने मकानें पर अपने परिवार सहित आबाद है, जहां पर सैकड़ों घरों की आबादी है। पटवारी हल्का द्वारा द्वेषतापूर्ण गलत रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है जिसको आधार मानकर अदालत मातहत ने आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि की सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भौतिक स्थिति बदल गई थी और वर्तमा[illegible] जोहड़ आदि नहीं है और ना ही कोई अवशेष आदि है। उक्त भूमि का [illegible] ही भूमि आवंटन अधिकारी, तहसीलदार खेतड़ी आबादी भूमि का वि[illegible] जन जाति/श्रमिक तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

कारीगरों की आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन सनं 1975 में किया गया था, जिस पर अपीलांट व उसका परिवार पुख्ता निर्माण कर अपने परिवार सहित आबाद है। इस प्रकार अपीलांट ने कोई अतिक्रमण आदि नहीं किया है। सरकार द्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि पर ही मकान बनाकर आबाद है। अपीलांट अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। अपीलांट ने कोई नया कब्जा नहीं किया है। अपीलांट ने काफी खर्चा करके मकानों का निर्माण किया है। अपीलांट को बेदखली किया जाता है तो अपीलांट व उसका परिवार बर्बाद हो जायेगा। अपीलांट पट्टेशुदा भूमि पर पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा है। इन तथ्यों पर गोर नहीं कर अदालत मातहत ने आदेश पारित करने में कलती कानूनी की है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 07.10.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी ठाठवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मुकुन्दपुरा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 248 कुल रकबा 16.41 हैक्टर किस्म गैर मु0 जोहड़ के रकबा 0.05 हैक्टर गै0 मु0 जोहड़ पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना बतया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट को विधिक प्रकिया के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर उनके द्वारा कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि गै0मु0 जोहड़ की भूमि है, जो प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष एवं हाजा न्यायालय के समक्ष भी पुराने कब्जे के संबंध में कोई बिजली-पानी के बिल या कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के संबंध में जो तत्कालीन पट्टे की फोटो प्रति पेश की है, उसकी कोई विधिक मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:41 IST
Reason: SelfAttested

देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 उनवानी सरकार बनाम रामसिंह मु0नं0 141/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:41 IST
Reason: SelfAttested